



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 23.02.2026

- इटावा पुलिस द्वारा युवक की हत्या करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,
- कब्जे से आलाकत्ल तमंचा, खोखा कारतूस व घटना मे प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद ।
- थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत रेलवे ट्रैक पर मिला था अज्ञात शव, प्रेम प्रसंग मे की गयी थी हत्या
- अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण में थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19/20.02.2026 की रात्रि को थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत डीएफसी रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव मिलने पर इकदिल पुलिस द्वारा करायी गयी शिनाख्त मे मृतक की पहचान मनीष यादव पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम नगला बंधा थाना भरथना जनपद इटावा के रूप मे हुई । मृतक मनीष यादव उपरोक्त गुमशुदगी दिनांक 18.02.26 को समय करीब 20.06 बजे थाना भरथना पर पंजीकृत की गयी थी ।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा एसओजी/सर्विलांस व थाना पुलिस की संयुक्त 03 टीमो का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया । गहन जांच, सर्विलांस व पूछताछ के आधार पर यह तथ्य प्रकाश मे आये कि घटना प्रेम प्रसंग से सम्बन्धित है । अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र रविन्द्र यादव निवासी केशोपुर कलां थाना इकदिल जो मृतक मनीष को अपनी बहन से बात करने की बात जान गया था तथा अपनी बहन को उसके साथ पूर्व में कहीं देख लिया था इसलिये षडयन्त्र के तहत योजना बनाकर अपने साथी 2. विपिन यादव पुत्र हृदयराम यादव निवासी ग्राम मानिकपुर भीखन थाना इकदिल जनपद इटावा 3. दीपक पुत्र अरविंद कुमार निवासी केशोपुर कलां थाना इकदिल जनपद इटावा के साथ मिलकर मृतक मनीष को लिफ्ट देने के बहाने चार पहिया गाड़ी में बैठाकर दिनांक 18.02.2026 को पूर्वाह्न में ही थाना इकदिल अन्तर्गत सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी तथा दूसरे दिन शव को छिपाने तथा साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत रेलवे ट्रैक पर रखकर मौके से फरार हो गये थे

घटना के संबंध मे वादी की तहरीर पर दिनांक 21.02.2025 को मु0अ0सं0 40/26 धारा 103(1)/61(2)/140(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हत्या करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 22/23.02.2026 की रात्रि को थाना भरथना पुलिस टीम थाना भरथना पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी । इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त ओमशरण उर्फ विपिन यादव पुत्र हृदयराम को मानिक भीखन मोड से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस पूछताछ:-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त ओमशरण उर्फ विपिन यादव पुत्र हृदयराम से पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि मृतक मनीष यादव का सह अभियुक्त अभिषेक यादव की बहन से प्रेम संबंध था, जिसको लेकर अभियुक्तगण मृतक से रंजिश रखने लगे थे। दिनांक 18.02.2026 को पूर्व नियोजित योजना के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर मृतक मनीष को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया गया। तथा इकदिल क्षेत्र के सुनसान स्थान पर ले जाकर मृतक के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गयी। एवं उसके द्वारा तमंचे से मनीष को गोली मार दी गयी।

अभियुक्त ने बताया कि सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर हत्या के उपरांत साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मृतक के कपड़े, जूते व अन्य सामग्री को जलाया गया तथा शव को रस्सी से बांधकर ट्राली में डालकर डीएफसी रेलवे ट्रैक पर रखकर मौके से फरार हो गये।

अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल अवैध तमंचा व खोखा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त सोनालिका ट्रैक्टर - ट्रॉली बरामद किये गये।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में **मु0अ0सं0 40/26 धारा 103(1)/61(2)/140(1)/238/3(5) बीएनएस** मे **धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट** की बढोत्तरी की गयी।

नोट:- प्रकरण के संबंध में थाना भरथना पुलिस द्वारा दिनांक 22.02.2026 को 01 अभियुक्त दीपक पुत्र अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

ओमशरण उर्फ विपिन यादव पुत्र हृदयराम निवासी ग्राम मानिकपुर भीखन थाना इकदिल जनपद इटावा, उम्र लगभग 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 40/26 धारा 103(1)/61(2)/140(1)/238/3(5) बीएनएस धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. एक अवैध तमंचा 315 बोर आलाकत्ल
2. एक खोखा कारतूस 315 बोर
3. सोनालिका ट्रैक्टर-ट्रॉली (घटना में प्रयुक्त)
4. 01 मोबाइल

पुलिस टीम:- प्रभारी निरीक्षक श्री विक्रम सिंह थाना भरथना, निरी० श्री अरिमर्दन सिंह, का० रिकू कुमार, चा०हे०का० आशूतोष मय टीम।